खास खबरें

बागसेवनिया में घर के पास से 30 हजार की बाइक चोरी

नप्र, भोपालः राजधानी के बागसेवनिया थाना क्षेत्र में सागर पब्लिक स्कूल के पास से अज्ञात आरोपी ने बाइक चोरी कर ली। फरियादी अरुण की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। चोरी गई एब्लिवा बाइक क्रमांक एमपी04 डब्ल्यूसी6588 की कीमत करीब 30 हजार रुपये बताई गई है। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

वहीं हलालपुर बस स्टैंड क्षेत्र में अज्ञात आरोपी ने एक बाइक चोरी कर ली। फरियादी श्याम कुमार की रिपोर्ट पर कोहेफिजा थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। चोरी गई एब्लिवा बाइक क्रमांक एमपी04 यूके0735 की कीमत करीब 30 हजार रुपये बताई गई है। पुलिस ने अज्ञात आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

लापरवाही से वाहन चलाकर टक्कर मारने का मामला दर्ज

खजूरी सड़क थाना क्षेत्र में मानसरोवर के सामने तेज और लापरवाही से वाहन चलाकर टक्कर मारने का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार सतीश पटेल के वाहन को चालक ने लापरवाही से चलाते हुए टक्कर मार दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। मामले की जांच जारी है।

साकेत नगर में युवक से अवैध छुरी बरामद

बागसेवनिया थाना पुलिस ने साकेत नगर क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए एक युवक को अवैध छुरी के साथ पकड़ा। पुलिस के अनुसार कुणाल पाटिल, उम्र 20 वर्ष, के कब्जे से छुरी बरामद की गई। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।

छोला में 350 क्वार्टर देशी शराब जब्त

छोला मंदिर थाना पुलिस ने कैंची छोला क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने रितेश मुखर्जी और सुमित के कब्जे से 350 क्वार्टर देशी शराब बरामद की। बरामद शराब की कीमत करीब 28,320 रुपये बताई गई है। आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच जारी है।

मोबाइल पर विज्ञापन देखकर संपर्क किया

अशोका गार्डन थाना क्षेत्र की एक युवती ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गई। सेमरा कला निवासी प्रियंका अहिरवार के अनुसार मोबाइल पर विज्ञापन देखने के बाद उसने दिए गए संपर्क पर बात की। इसके बाद अज्ञात आरोपी ने कथित रूप से उसके खाते से दो लाख रुपये निकाल लिए। शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

रिश्तेदार बनकर महिला से 50 हजार रुपये ठगे

अशोका गार्डन थाना क्षेत्र के मयूर विहार में अज्ञात व्यक्ति ने रिश्तेदार बनकर महिला से 50 हजार रुपये निकाल लिए। फरियादी आसिमा निशा के अनुसार आरोपी ने रिश्तेदार बनकर संपर्क किया और धोखाधड़ी की। शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस साइबर ठगी के इस मामले में आरोपी की पहचान और रकम के लेनदेन की जांच कर रही है।

गेम अपलोड करने के नाम पर खाते से 49,866 रुपये कटे

अशोका गार्डन थाना क्षेत्र में ऑनलाइन ठगी का एक और मामला सामने आया है। विनायक होम्स निवासी मंदा सरदार के अनुसार अज्ञात व्यक्ति ने गेम अपलोड करने के बाद उनके खाते से 49,866 रुपये की रकम कटवा दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस ऑनलाइन लेनदेन और आरोपी से जुड़े तकनीकी साक्ष्यों की जांच कर रही है।

फर्जी लिंक भेजकर बैंक कार्ड के नाम पर 94 हजार की ठगी

कमला नगर थाना क्षेत्र में बैंक कार्ड के नाम पर भेजे गए फर्जी लिंक से 94,089 रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। फरियादी सुमंत कुमार यादव के अनुसार अज्ञात आरोपी ने बैंक कार्ड के संबंध में फर्जी लिंक भेजा। लिंक पर कार्रवाई के बाद खाते से रकम निकल गई। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर साइबर जांच शुरू कर दी है।

लाड़ली लक्ष्मी पार्क के पास तलवार लेकर घूम रहा था युवक, पुलिस ने दबोचा

पुलिस को देखते ही भागने लगा, आरोपी से तलवार बरामद

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः टीटी नगर थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लाडली लक्ष्मी पार्क के पास तलवार लेकर घूम रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है।

पुलिस को देखते ही आरोपी ने मौके से भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से लोहे का धारदार तलवारनुमा हथियार बरामद हुआ है।

पुलिस के अनुसार,मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक युवक लाडली लक्ष्मी पार्क के पास अवैध हथियार लेकर घूम रहा है। सूचना की तस्दीक के लिए पुलिस टीम मौके पर पहुंची। वहां मुखबिर द्वारा बताए गए हुलिए का युवक दिखाई दिया। पुलिस को देखते ही वह भागने लगा। पुलिस टीम ने स्टाफ और राहगीर पंचों की मदद से घेराबंदी कर युवक को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम अर्जुन भेरवे उर्फ बिट्टू (19) पिता पवन भेरवे, निवासी जयभीम नगर, सेंट मैरी स्कूल के पास, पंचशील नगर, टीटी नगर भोपाल बताया।

तलाशी में मिला धारदार हथियार : पुलिस ने आरोपी की जामा तलाशी ली तो उसके पास से लोहे का धारदार तलवारनुमा हथियार बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक हथियार प्रतिबंधित आकार-प्रकार का पाया गया। हथियार रखने के संबंध में आरोपी से वैध दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वह कोई लाइसेंस या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने तलवारनुमा हथियार को विधिवत जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले में अपराध क्रमांक 704/26, धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

पहले से दर्ज हैं दो मामले : पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी अर्जुन भेरवे उर्फ बिट्टू के खिलाफ टीटी नगर थाने में पहले से दो आपराधिक मामले दर्ज हैं।

कृष्णापुरम में ताला तोड़कर बाइक और जेवर चोरी

नप्र, भोपालः मिसरोद थाना क्षेत्र के कृष्णापुरम में अज्ञात चोर ने घर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। फरियादी विनिता पाटिल के अनुसार आरोपी घर से होंडा मोटरसाइकिल, जेवरात और नकदी ले गया। चोरी गए सामान की कुल कीमत करीब 95 हजार रुपये बताई गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

मोबाइल हैक कर महिला के खाते से 2.49 लाख निकाले: बागसेवनिया थाना क्षेत्र की राजाभोज कॉलोनी में मोबाइल हैक कर 2.49 लाख रुपये निकालने का मामला सामने आया है। फरियादी शिल्पी जैन ने पुलिस को बताया कि अज्ञात आरोपी ने मोबाइल हैक कर रकम निकाल ली। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

बीएचईएल के श्रमिक प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय श्रम प्रशिक्षण में बढ़ाई दक्षता

श्रम कानूनों, सामाजिक सुरक्षा और औद्योगिक संबंधों पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण में किया सहभाग

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः बीएचईएल भोपाल के श्रमिक प्रतिनिधियों ने 3 से 5 अगस्त तक नोएडा स्थित वी.वी. गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान में आयोजित तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहभागिता कर बदलते श्रम कानूनों और श्रमिक अधिकारों से जुड़े विषयों की जानकारी प्राप्त की।

प्रशिक्षण का उद्देश्य श्रम कानूनों में हो रहे परिवर्तनों को समझना तथा कर्मचारियों के हितों की प्रभावी पैरवी के लिए प्रतिनिधियों को सक्षम बनाना था।प्रशिक्षण में बीएचईएल भोपाल के प्रतिनिधियों के साथ देशभर के श्रम विभागों, विभिन्न श्रमिक संगठनों तथा प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान औद्योगिक संबंध संहिता, मजदूरी संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य दशाएं संहिता सहित श्रम कानूनों के विभिन्न प्रावधानों पर विशेषज्ञों ने विस्तृत जानकारी दी।

प्रशिक्षण में श्रमिक अधिकार, वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध, रोजगार तथा कार्यस्थल पर सुरक्षा जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रतिभागियों ने प्रश्नोत्तर और विचार-विमर्श के माध्यम से कानूनों के व्यावहारिक पक्ष को भी समझा।

प्रतिनिधियों ने कहा कि बदलते श्रम कानूनों की जानकारी प्रत्येक श्रमिक संगठन के लिए आवश्यक है। प्रशिक्षण से प्राप्त अनुभव का उपयोग कर्मचारियों के अधिकारों और हितों की प्रभावी पैरवी में किया जाएगा। उन्होंने कार्यक्रम के आयोजन से जुड़े प्रशिक्षकों तथा संस्थान के अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे ज्ञानवर्धक और उपयोगी बताया।

संतुलित जीवन ही सुखी जीवन का आधार : राजयोगिनी डॉ. सुनीता दीदी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः गोविंदपुरा इंडस्ट्री एसोसिएशन एवं मध्यप्रदेश लघु उद्योग संघ के संयुक्त तत्वावधान में जीया सभागृह में 'संतुलित जीवन, सुखी जीवन' विषय पर प्रेरक व्याख्यान आयोजित किया गया। मुख्य वक्ता राजयोगिनी ब्रह्माकुमारी डॉ. सुनीता दीदी ने कहा कि संतुलित जीवन ही सुखी जीवन का आधार है।

व्यवसाय, नौकरी और परिवार के बीच बेहतर समन्वय बनाकर कार्य करने वाला व्यक्ति तनावमुक्त और प्रसन्न रहता है। उन्होंने कहा कि कठिनाइयां सभी के जीवन में आती हैं, लेकिन जो उनका मुस्कराते हुए सामना करते हैं, अंततः सफलता उन्हीं को मिलती है।

कार्यक्रम की शुरुआत में गोविंदपुरा इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय गौड़ तथा मध्यप्रदेश लघु उद्योग संघ के मानद सचिव विपिन कुमार जैन ने डॉ. सुनीता दीदी का स्वागत किया। उन्होंने उपस्थित सदस्यों का प्रेरक व्याख्यान में सहभागिता के लिए आभार भी व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन सचिव सुनील भार्गव ने किया, जबकि आभार प्रदर्शन योगेश गोयल ने किया। कार्यक्रम में विभिन्न औद्योगिक संस्थानों से जुड़े 50 से अधिक उद्योगपति एवं सदस्य उपस्थित रहे।

भाजपा पार्षद दल में नई जिम्मेदारियां आरती अनेजा बनीं महासचिव

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः भारतीय जनता पार्टी जिला भोपाल नगर अध्यक्ष रविंद्र यति ने नगर निगम भाजपा पार्षद दल की संगठनात्मक व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से नई जिम्मेदारियों की घोषणा की है। इसके तहत श्रीमती आरती अनेजा को महासचिव, श्री शिवलाल मकोरिया को सचेतक और श्रीमती सरोज आसेरी को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सभी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं।

जिला अध्यक्ष रविंद्र यति ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे संगठन की कार्यप्रणाली को और प्रभावी बनाने के साथ नगर हित के मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाएंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि भाजपा पार्षद दल जनसेवा, सुशासन और संगठनात्मक मूल्यों के अनुरूप नागरिकों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेगा। नगर निगम भाजपा पार्षद दल के सदस्यों ने भी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए उनके सफल कार्यकाल की कामना की।

पुरानी रंजिश के चलते तीन दोस्तों पर चाकुओं से हमला

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः हबीबगंज थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर बदमाशों ने तीन दोस्तों पर चाकुओं से हमला कर दिया। वारदात में तीनों युवक घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

हमले के बाद आरोपियों ने एक बाइक में तोड़फोड़ की और जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। पुलिस ने हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, ज्योतिबा फुले नगर निवासी लक्की सेन बुधवार रात अपने घर के बाहर खड़ा था। इसी दौरान सोनू उर्फ पागल, राहुल नोटी और उनके कुछ साथी वहां पहुंचे। पुरानी रंजिश को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी होने लगी। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। इसी दौरान आरोपियों ने लक्की सेन पर चाकू से हमला कर दिया। शोर सुनकर बीच-बचाव करने पहुंचे उसके दोस्त नितेश जाटव और मान बहादुर पर भी आरोपियों ने चाकू से वार कर दिए।

निगम तीन सप्ताह में करेगा पूरे शहर का सर्वे नोटिस के बाद अवैध निर्माण तोड़ने की तैयारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः शुक्रवार को जारी निगम के अपडेट के मुताबिक शहर की सभी छह विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ सर्वे शुरू किया जाएगा। अपर आयुक्त या उपायुक्त स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में नोडल दल गठित किए जाएंगे। ये दल भवन अनुमति, स्वीकृत नक्शे, एफएआर और व्यावसायिक गतिविधियों की मौके पर जांच करेंगे।

अरेरा कॉलोनी से शुरू हुआ विवाद अब पूरे भोपाल तक पहुंचा छह विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ होगी जांच

अरेरा कॉलोनी का दर्द, 20 साल की प्लानिंग पर सवाल

रहवासी क्षेत्रों में कमर्शियल गतिविधियों का यह विवाद सिर्फ अवैध निर्माण की कार्रवाई तक सीमित नहीं है। इसने भोपाल की करीब दो दशक पुरानी शहरी नियोजन व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। वर्ष 2005 के बाद भोपाल को नया मास्टर प्लान नहीं मिल पाया। दो बार ड्राफ्ट तैयार हुए, आपत्तियां भी आईं, लेकिन दोनों लागू नहीं हो सके। अब मास्टर प्लान-2047 भी लंबे समय से मंजूरी का इंतजार कर रहा है। पिछले 20 वर्षों में कई रहवासी इलाकों में बड़े अस्पताल, शोरूम और अन्य संस्थान खुलते चले गए। लेकिन इन इलाकों की सड़क, पार्किंग, पानी और सीवेज जैसी सुविधाएं उसी अनुपात में नहीं बढ़ीं। अरेरा कॉलोनी के ई-1 से ई-5 और चार इमली जैसे इलाके मूल रूप से कम आबादी और आवासीय जरूरतों को ध्यान में रखकर विकसित किए गए थे। बड़े कमर्शियल संस्थानों के आने से इन क्षेत्रों में ट्रैफिक और पार्किंग का दबाव बढ़ा है।

सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद बदला पूरा घटनाक्रम

जुलाई के मध्य से नगर निगम ने नोटिस की कार्रवाई तेज की थी। अगस्त की शुरुआत में कुछ प्रतिष्ठानों पर ताले लगाए जाने के बाद व्यापारियों ने विरोध किया। इसके बाद 2 अगस्त को मुख्यमंत्री मोहन यादव की बैठक हुई और राज्य सरकार ने 10 सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठित कर कार्रवाई रोक दी थी। इसके बाद 5 और 6 अगस्त की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने राज्य सरकार की समिति पर रोक लगाई और हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर भी निरस्त किए। साथ ही नगर निगम को कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिए। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि केवल कागजी कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। इसके बाद अब निगम ने पूरे शहर की वास्तविक स्थिति का सर्वे कर रिपोर्ट तैयार करने का फैसला लिया है।

बड़े संस्थान भी जांच के दायरे में

इस कार्रवाई का दायरा केवल छोटी दुकानों तक सीमित नहीं रहेगा। आवासीय क्षेत्रों में संचालित शोरूम, रेस्टोरेंट, होटल, जिम, अस्पताल, विश्वविद्यालय, कॉलेज, कोचिंग संस्थान और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों की भी जांच की जाएगी। निगम द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पहले प्रस्तुत शपथपत्र में शहर की कुछ बड़ी और प्रभावशाली कमर्शियल प्रॉपर्टी का विवरण भी दिया जा चुका है। अब नए सर्वे में ऐसे सभी मामलों की मौके पर जांच कर वास्तविक स्थिति सामने लाने की तैयारी है।

सरकार के सामने अब नीति बनाने की चुनौती

भोपाल में सवाल सिर्फ यह नहीं है कि कौन-सा निर्माण अवैध है और कौन-सा वैध। बड़ा सवाल यह भी है कि भविष्य में रहवासी इलाकों और कमर्शियल क्षेत्रों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। शहर के नए इलाकों में चौड़ी सड़कें और पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं तो वहां नियोजित तरीके से मिश्रित भूमि उपयोग की अनुमति देने पर विचार किया जा सकता है। वहीं पुराने रहवासी इलाकों में बड़े व्यावसायिक संस्थानों के लिए स्पष्ट सीमाएं तय करनी होंगी। नई नीति में यह भी तय करना होगा कि किस सड़क की कितनी चौड़ाई पर किस स्तर की कमर्शियल गतिविधि की अनुमति होगी और कॉलोनी स्तर की जरूरत तथा पूरे शहर की जरूरत वाले संस्थानों के लिए क्या अलग नियम होंगे। अब सिर्फ नोटिस और तोड़फोड़ से समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है। सरकार को पुराने और नए दोनों कमर्शियल उपयोग के लिए स्पष्ट नीति बनानी होगी।

छोटे दुकानदारों पर कार्रवाई या बड़े कारोबारियों पर शिकंजा?

भोपाल के अंदरूनी और पुराने इलाकों में बड़ी संख्या में परिवार अपने घर के सामने छोटी दुकानें चलाकर आजीविका कमाते हैं। ऐसे लोगों में कार्रवाई को लेकर चिंता है। दूसरी ओर बड़े आवासीय प्लॉटों पर संचालित बड़े कमर्शियल संस्थानों से आसपास के रहवासियों को ट्रैफिक, पार्किंग और अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए आम लोगों की मांग है कि कार्रवाई करते समय छोटे आजीविका आधारित कारोबार और बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में अंतर किया जाए। नगर निगम के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए कार्रवाई भी हो और छोटे कारोबारियों की रोजी-रोटी पर अनावश्यक संकट भी न आए। तीन सप्ताह का यह सर्वे भोपाल के भविष्य की दिशा तय करने वाला साबित हो सकता है। क्योंकि मामला सिर्फ अवैध निर्माण हटाने का नहीं, बल्कि यह तय करने का है कि अगले 20-25 वर्षों में भोपाल का आवासीय और व्यावसायिक स्वरूप कैसा होगा।

एक लाख मकान... मगर कार्रवाई कैसे?: निगम के सामने सबसे बड़ी चुनौती छोटे और बड़े कमर्शियल उपयोग में अंतर करने की

भोपाल में यदि व्यापक सर्वे के दौरान करीब एक लाख मकानों में नियमों का उल्लंघन सामने आता है तो इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई नगर निगम के लिए बड़ी चुनौती होगी। शहर के पुराने और अंदरूनी इलाकों में कई परिवार घर के सामने छोटी दुकान या छोटा कारोबार कर अपनी आजीविका चलाते हैं वहीं दूसरी ओर बड़े आवासीय प्लॉटों में शोरूम, अस्पताल, होटल, रेस्टोरेंट, जिम और अन्य बड़े व्यावसायिक संस्थान संचालित हो रहे हैं। इनके कारण ट्रैफिक, पार्किंग और रहवासी सुविधाओं पर दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में निगम को सर्वे के बाद निर्माण का आकार, सड़क की चौड़ाई, पार्किंग, भवन की स्वीकृति और कमर्शियल गतिविधि के स्तर के आधार पर कार्रवाई की स्पष्ट नीति बनानी होगी।

सवाल यही है - क्या एक ही नियम छोटे दुकानदार और बड़े कमर्शियल संस्थान पर समान रूप से लागू होगा?

सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद घटनाक्रम

जुलाई मध्यः निगम ने रहवासी इलाकों में कमर्शियल उपयोग के खिलाफ नोटिस देना तेज किया।

अगस्त शुरुआतः कई प्रतिष्ठानों पर ताले लगाए गए, व्यापारियों ने विरोध किया।

2 अगस्तः मुख्यमंत्री की बैठक के बाद राज्य सरकार ने 10 सदस्यीय समिति बनाई और कार्रवाई रोक दी।

5-6 अगस्तः सुप्रीम कोर्ट ने समिति पर रोक लगाई और हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर निरस्त किए।

इसके बादः निगम को कार्रवाई जारी रखने के निर्देश मिले।

अबः तीन सप्ताह में पूरे भोपाल का व्यापक सर्वे कर सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश करने की तैयारी।

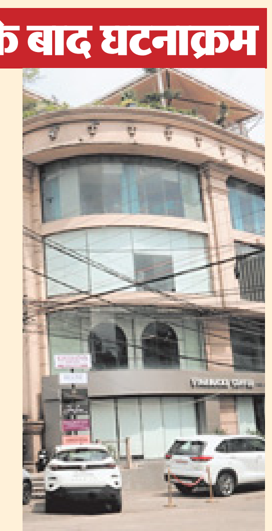

कार्रवाई की तीन श्रेणियां, किस पर गिरेगी कार्रवाई की गाज?

__पहला –__ आवासीय में कमर्शियल : आवासीय स्वीकृति वाले भवन में दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, जिम, अस्पताल, कोचिंग या अन्य कारोबार।

__दूसरा–__ बिना अनुमति निर्माण : बिना भवन अनुज्ञा या स्वीकृत नक्शे के निर्माण।

__तीसरा–__ एफएआर उल्लंघन : स्वीकृत नक्शे और अनुमत एफएआर से अधिक निर्माण।

__नियम उल्लंघन मिला तो–__ पहले नोटिस, फिर नियमानुसार अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई। इसमें अलावा जुर्माना भी किया जा सकता है।

सिंधी प्रतिभा सम्मान कल, पाँच सौ प्रतिभाएं होंगी सम्मानित

भारतीय सिंधु सभा एवं सिंधी मेला समिति का आयोजन

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्रः भारतीय सिंधु सभा एवं सिंधी मेला समिति द्वारा रविवार 09 अगस्त को भोपाल के रविंद्र भवन में सुबह 9 बजे से प्रांतीय प्रतिभा सम्मान का आयोजन किया जा रहा है, इस समारोह में सिंधी समाज के छात्र छात्राओ, प्रदेश स्तर पर शिक्षा, साहित्य, कला, खेल इत्यादि क्षेत्रों में सिंधी समाज का नाम रोशन करने वाली मध्यप्रदेश की 500 से अधिक प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा।

इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में धर्मेन्द्र सिंह लोधी संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के राज्यमंत्री होंगे। साथ ही समारोह की अध्यक्षता विधायक भगवानदास सबनानी करेंगे। मुख्य वक्ता के रूप में शैक्षणिक सलाहकार एवं मनोवैज्ञानिक कला मोहन एवं राजगढ़ जिला के पुलिस अधीक्षक अमित तोलानी को विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे।

भातीय सिन्धु सभा के प्रदेश अध्यक्ष गुलाब ठाकुर एवं महामंत्री महेश ठारवानी एवं सिंधी मेला समिति के अध्यक्ष मनीष दरयानी एवं महासचिव नरेश तलरेजा ने बताया कि सिंधी मेला समिति एवं भारतीय सिंधु सभा के संयुक्त तत्वाधान में सिंधी समाज के बच्चो को आगे बढ़ाने एवं प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस प्रांतीय प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसमें शामिल होने के लिए इंदौर, जबलपुर, कटनी, रतलाम, इटारसी, होशंगाबाद, विदिशा सहित अन्य जिलों से लोग इस समारोह में शामिल होने के लिए राजधानी पहुँच रहे है। इस कार्यकम के संयोजक हरि रोहरा सह संयोजिका रितिका बालानी सह सयोजिका पूजा भाटिया को नियुक्त किया गया है। इस दौरान समारोह में टेलेंट शो का भी आयोजन किया गया है जिसमें प्रदेश के प्रतिभावान बच्चे अपनी अनूठी कला, संगीत और नृत्य का प्रदर्शन करेंगे।

भगत नथुरमल की 18वीं पुण्य तिथि आज

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्रः भगत् नथुरमल की 18 वीं पुण्यतिथि आठ अगस्त को शिव मंदिर स्टेशन रोड पर मनाई जाएगी। मंदिर में सुबह 10:00 से 11:30 बजे हवन कार्यक्रम उसके बाद प्रसाद वितरण व भंडारा होगा। तथा शिव मंदिर पर शिव मंडली के भजन का कार्यक्रम रखा गया है। भगत नथुरमल जी की कृपा से मंदिर प्रांगण में कई धार्मिक कार्यक्रम एवं महाशिवरात्रि का पर्व बडी धाम धूम से मनाए जाते है। बता दे भगत नथुरमल ने स्टेशन रोड पर 75 वर्ष पूर्व शिव मंदिर की स्थापना की थी।

PRINCIPAL DISTRICT & SESSIONS COURT, RAJGARH (M.P.)

NOTICE INVITING TENDER

e-tenders are invited from Reputed/Authorized Vendors/ Agencies for Mechanized Cleaning Services, Development and Maintenance of Garden, in New District Court Building, Rajgarh, Madhya Pradesh. The last date of tender submission is 21/08//2026 at 5:00 P.M. The tender shall be opened on 25/08/2026 at 02:00 P.M. The Pre-Bid meeting of the tender shall be held on 10/08/2026 at 2:00 P.M. at District Court, Rajgarh. The detailed tender document along with terms and conditions is available on the official website of the High Court i.e. www.mphc.gov.in & Government Tender portal www.mptenders.gov.in. & District Court website https://rajgarh.dcourts.gov.in

PRINCIPAL DISTRICT & SESSIONS JUDGE
RAJGARH (BIAORA) M.P.

G-16819/26

कार्यालय सम्पदा अधिकारी
म.प्र निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल
प्रक्षेत्र-1, गोमंतिका परिसर, जवाहर चौक, भोपाल
आम-सूचना

हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, करोंद, बैरसिया रोड, भोपाल में स्थित शेड क्रमांक- 158/बी मण्डल द्वारा श्री रामचरण बमनेले आत्मज श्री आलमचंद बमनेले के नाम से हस्तांतरित है। उक्त सम्पत्ति का विक्रय विलेख पंजीयन कार्यालय से दिनांक 15/07/1997 को एवं लीज नवीनीकरण दिनांक 05/04/2019 को पंजीकृत है। श्री रामचरण बमनेले आत्मज श्री आलमचंद बमनेले द्वारा उक्त सम्पत्ति श्री मोहम्मद शाहिद आत्मज श्री मोहम्मद युसूफ को विक्रय विलेख के माध्यम से विक्रय कर दिया है। जिसका विक्रय विलेख दिनांक 26/06/2019 को पंजीयन कार्यालय से पंजीकृत है। क्रेता / विक्रेता द्वारा आवेदन, शपथ पत्र, संयुक्त शपथ पत्र, विक्रय विलेख की छायाप्रति प्रस्तुत करते हुये उक्त सम्पत्ति श्री मोहम्मद शाहिद आत्मज श्री मोहम्मद युसूफ के पक्ष से हस्तांतरित करने हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। उक्त दस्तावेजो के आधार पर उक्त सम्पत्ति के हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है।

यदि उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति / उत्तराधिकारी / संस्था / वित्तीय संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप में मय सबूत के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। समयावधि समाप्त होने के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

(रविन्द्र विकास) सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह नि एवं अधा. वि. म.
प्रक्षेत्र-1, भोपाल

1232

कार्यालय सम्पदा अधिकारी
म.प्र निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल
प्रक्षेत्र-1, गोमंतिका परिसर, जवाहर चौक, भोपाल
आम-सूचना

हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, करोंद, बैरसिया रोड, भोपाल में स्थित शेड क्रमांक- 159/बी मण्डल द्वारा श्री सुधीर कुमार आत्मज श्री राम चरण बमनेले के नाम से हस्तांतरित है। उक्त सम्पत्ति का विक्रय विलेख पंजीयन कार्यालय से दिनांक 15/07/1997 को एवं लीज नवीनीकरण दिनांक 05/04/2019 को पंजीकृत है। श्री सुधीर कुमार आत्मज श्री राम चरण बमनेले द्वारा उक्त सम्पत्ति श्री मोहम्मद शाहिद आत्मज श्री मोहम्मद युसूफ को विक्रय विलेख के माध्यम से विक्रय कर दिया है। जिसका विक्रय विलेख दिनांक 26/06/2019 को पंजीयन कार्यालय से पंजीकृत है।

क्रेता / विक्रेता द्वारा आवेदन, शपथ पत्र, संयुक्त शपथ पत्र, विक्रय विलेख की छायाप्रति प्रस्तुत करते हुये उक्त सम्पत्ति श्री मोहम्मद शाहिद आत्मज श्री मोहम्मद युसूफ के पक्ष से हस्तांतरित करने हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। उक्त दस्तावेजो के आधार पर उक्त सम्पत्ति के हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है। यदि उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति / उत्तराधिकारी / संस्था / वित्तीय संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर लिखित रूप में मय सबूत के साथ इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। समयावधि समाप्त होने के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी एवं मण्डल नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

(रविन्द्र विकास) सम्पदा अधिकारी
म.प्र. गृह नि एवं अधा. वि. म.
प्रक्षेत्र-1, भोपाल

1231